न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 122/2012

प्रार्थी : –

1. श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री जुआरिंगजी जाति माली निवासी वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. ग्राम पंचायत वाटेरा जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.08.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/पंसपि/पंचायत/2009–10/764 दिनांक 13.01.2010 एवं प्रशासन एवं स्थापन स्थाई समिति पंचायत समिति पिण्डवाडा का प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 03.11.2009 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत विधि विरूद्ध आदेश पारित कर प्रार्थीगण को अतुल्यनीय क्षति पहुंचाई है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके चाचा के मकान ग्राम वाटेरा में माली वास में बने [illegible] दिशा में 10 फीट गली है एवं दक्षिण दिशा में 10½ फीट की गली है [illegible] ग्राम पंचायत वाटेरा में आवेदन कर उसके मकान के पीछे अ[illegible]आ (गटर) खुदवाने बाबत् निर्माण स्वीकृति चाही लेकिन श्री वेला[illegible] पुत्र श्री धरमाजी जाति नाई निवासी वाटेरा ने विकास अधिकारी पिण्डवाडा को आवेदन पेश किया जिस पर [illegible]न एवं स्थापन स्थाई समिति पिण्डवाडा की बैठक दिनांक 03.11.2009 के प्रस्ताव [illegible] द्वारा गठित कमैटी द्वारा दिनांक 05.11.2009 को प्रार्थी के मकान के पीछे वाली गली का मौका निरीक्षण किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी के मकान के आगे 10 फीट चौडी गली है एवं श्री वेलाराम पुत्र श्री धरमाजी नाई के भूखण्ड के सामने भी आम रास्ता है एवं पीछे 10 फीट की गली है जो मालियों एवं नाईयों के मकान के पीछे की ओर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उक्त पीछे की 10 फीट चौडी गली को मालियों व नाईयों को आधी–आधी अर्थात 5–5 फीट वर्तमान बाजार दर पर दिए जाने का एवं साथ ही पीछे वाली गली में नाईयों एवं मालियों को खार कुंआ एवं अन्य किसी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस आधार पर विवादित गली की आधी–आधी जगह गली के दोनों तरफ वालों को वर्तमान बाजार दर पर देने का निर्णय विकास अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त गली की भूमि को विक्रय करने का आदेश देने का अधिकार विकास अधिकारी को नहीं है। उक्त आदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी के चाचा श्री रमेश कुमार ने वर्ष 1994 में ग्राम पंचायत वाटेरा को आवेदन कर नियमानुसार शुल्क अदाकर ग्राम पंचायत की स्वीकृति से प्रार्थी व उसके चाचा श्री रमेशकुमार आदि के मकानों के पीछे के भाग में कटहरों का निर्माण किया है जिसमें प्रार्थी व उसके चाचा के मकानात के दरवाजे व खिडकियां खुली हुई है जिससे प्रार्थी को हवा व रोशनी प्राप्त होती है। यदि गली की भूमि को विक्रय कर दिया गया तो प्रार्थी व उसके परिवारजन हवा व रोशनी से वंचित हो जाएगें जिससे प्रार्थी के सुखाधिकार पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं प्रार्थी के मकान से बरसात के पानी की निकासी का रास्ता अवरूद्ध हो जाएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के सुखाधिकारों को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी ने उक्त आदेश को पारित करने में कोई भूल नहीं की है। प्रशासन एवं स्थाई समिति के निर्णय के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि संगत है। यह है कि प्रार्थी ग्राम वाटेरा का निवासी है लेकिन खार कुंआ मकान के पीछे बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया तब गली के निवासी श्री वेलाराम पुत्र श्री धरमाजी जाति नाई निवासी वाटेरा ने आपत्ति की ओर पंचायत समिति में प्रार्थना पत्र देने पर पंचायत समिति पिण्डवाडा ने बैठक कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के मकान के पीछे खार कुंआ खोदने की स्वीकृति नहीं देकर प्रस्ताव लेकर ग्राम पंचायत को निर्देश दिया गया। यह है कि उक्त गली मूल रूप से श्री वेलाराम व उसके परिवार के सदस्यों के लिए ही है। अतः उसे बाजार कीमत पर देने का जो प्रस्ताव लिया है वह विधि विरूद्ध नहीं है क्योंकि गली की सफाई होना ग्राम पंचायत के आय के संसाधनों से संभव नहीं है। यह है कि उक्त गली सार्वजनिक नहीं है। गली का उपयोग उनके परिवार के लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थी के चाचा श्री रमेशकुमार ने वर्ष 1994 में अपने मकान के पीछे बालकनी निकालने हेतु यदि अनुमति ली है तो उसकी जानकारी पंचायत समिति को नहीं है। यह है कि गली को विक्रय कर देने से प्रार्थी के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है बल्कि ग्राम पंचायत को आय होगी। यह है कि प्रार्थी के मकान के आगे पूर्व से ही गली है उससे प्रार्थी को हवा एवं रोशनी मिलती है एवं प्रार्थी के मकान के बरसात का पानी आगे की गली में गिरता है। अतः इससे प्रार्थी के सुखाधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पडता है एवं प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में श्री वेलाराम पुत्र श्री धरमाजी जाति नाई निवासी वाटेरा आवश्यक पक्षकार होते हुए [illegible] पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज [illegible]ना फरमावें।

उभय पक्ष की सुन[illegible] बहस पर म[illegible]किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी क[illegible] पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एव[illegible] रिकॉर्ड अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है :–

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में 10 फीट गली है एवं दक्षिण दिशा में 10½ फीट की गली है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत वाटेरा में आवेदन कर उसके मकान के पीछे अर्थात दक्षिण दिशा में स्थित गली में खार कुंआ (गटर) खुदवाने बाबत् निर्माण स्वीकृति चाही लेकिन श्री वेलाराम पुत्र श्री धरमाजी जाति नाई निवासी वाटेरा ने विकास अधिकारी पिण्डवाडा को आवेदन पेश किया जिस पर प्रशासन एवं स्थापन स्थाई समिति पिण्डवाडा की बैठक दिनांक 03.11.2009 के प्रस्ताव संख्या एक द्वारा गठित कमैटी द्वारा दिनांक 05.11.2009 को प्रार्थी के मकान के पीछे वाली गली का मौका निरीक्षण किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी के मकान के आगे 10 फीट चौडी गली है एवं श्री वेलाराम पुत्र श्री धरमाजी नाई के भूखण्ड के सामने भी आम रास्ता है एवं पीछे 10 फीट की गली है जो मालियों एवं नाईयों के मकान के पीछे की ओर है। उक्त पीछे की गली में किसी भी प्रकार का कोई आवागमन नहीं होता है एवं गली आगे जाकर बन्द है। दोनों पक्षों के मकानों के दरवाजे आगे की ओर खुले हुए है, जहां आम गली एवं आम रास्ता है। अतः पीछे वाली गली केवल दो–तीन परिवारों के उपयोग–उपभोग में आ रही है एवं इस गली से आपस में विवाद बढता जा रहा है। अतः उक्त पीछे की 10 फीट चौडी गली को मालियों व नाईयों को आधी–आधी अर्थात 5–5 फीट वर्तमान बाजार दर पर दिए जाने का एवं साथ ही पीछे वाली गली में नाईयों एवं मालियों को खार कुंआ एवं अन्य किसी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस आधार पर विवादित गली की आधी–आधी जगह गली के दोनों तरफ वालों को वर्तमान बाजार दर पर देने का निर्णय विकास अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा पारित किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी एवं उसके चाचा श्री रमेशकुमार ने वर्ष 1994 में ग्राम पंचायत वाटेरा को आवेदन कर नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की लेकिन पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अतः मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत पंचायतों के आदेशों की अपीलें कोई भी व्यथित व्यक्ति पंचायत के आदेश या निर्देश की अपील अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति को कर सकता है, जिसकी सुनवाई अधिनियम की धारा 56(1) के अन्तर्गत गठित समिति (प्रशासन एवं स्थापन स्थाई समिति) द्वारा की जाएगी। उक्त अपील पर सुनवाई उपरान्त पंचायत समिति ग्राम पंचायत के आदेशों को अपास्त, परिवर्तित या पुष्ठ कर सकेगी। उक्त प्रकरण में पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश/निर्देश दिया जाना रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः धारा 56(1) में गठित समिति मात्र किसी के आवेदन पर सुनवाई एवं निर्णय पारित नहीं कर सकती है। अपील एक विधिक प्रक्रिया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा धारा 61 की पालना नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए नए सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner